

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 40(18) ग्रावि/नरेगा/तक.प्रक./पार्ट-2/2010

जयपुर, दिनांक:-

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,  
समस्त राजस्थान।

12 4 JAN 2012

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रिकास्ट सीमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिंग ब्लॉक/टाईल्स के माध्यम से गांवों की आन्तरिक सड़कों के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक जे 11060/1/2011 - एम.जी.नरेगा - 1 दिनांक 06.01.2012 एवं विभागीय पत्रांक एफ 1(2) ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट-1/10 दिनांक 02.12.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 06.01.2012(प्रति संलग्न) के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गांवों की आन्तरिक सड़कों के प्रिकास्ट इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक/टाईल्स के माध्यम से निर्माण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

- 1- कार्य का वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होना आवश्यक है जिसमें कार्य का पूरा विवरण मय कहां से कहां तक (चैनेज सहित) वर्णित होना चाहिए।
- 2- यदि कार्य अनुमोदित मूल वार्षिक कार्य योजना अथवा पूरक वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार कार्य की अति आवश्यकता है तो कार्य को संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा, पंचायत समिति की साधारण सभा एवं जिला परिषद की साधारण सभा में अनुमोदन करवाकर पूरक वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराये। उसी के पश्चात् कार्य की स्वीकृति जारी की जावे।
- 3- कार्य गांवों की उन्हीं आन्तरिक सड़कों में प्रस्तावित किया जायेगा जहां आबादी है एवं मकान/भवन निर्मित हैं। यह कार्य गांव/ढाणियों को जोड़ने वाली सड़कों पर नहीं कराया जावे।
- 4- कार्य उन स्थानों पर प्रस्तावित नहीं किया जायेगा जहां पूर्व में सी.सी. सड़क अथवा खरंजा सड़क अथवा अन्य समकक्ष सड़क निर्मित हुई है।
- 5- सड़क के निर्माण के साथ नालियों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। आन्तरिक सड़कों में पूर्व से यदि नाली निर्मित हो तो उसका उल्लेख किया जाकर तदनुसार कार्य के तकमीने बनाये जावे।
- 6- यदि आन्तरिक सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर से कम है तो नालियों की चौड़ाई को छोड़कर शेष चौड़ाई में सड़क निर्माण कार्य किया जाये एवं यदि आन्तरिक सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर से अधिक है तो सड़क निर्माण की अधिकतम चौड़ाई 3.75 मीटर रखी जाये, शेष चौड़ाई के अंतिम किनारों पर दोनो तरफ नालियों का निर्माण किया जाये। बीच की खाली जगह में ग्रेवल कार्य निर्धारित केम्बर में कराया जाये।
- 7- इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक सड़क के निर्माण हेतु आपूर्ति किये गये प्रिकास्ट ब्लॉक के रेण्डम बेसिस पर पर्याप्त मात्रा (प्रति हजार ब्लॉक में एक सैम्पल) के नमूनों

की गुणवत्ता की तकनीकी जाँच सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला/अन्य अनुमोदित प्रयोगशाला में करवाकर ही सही ब्लॉक निर्माण हेतु उपयोग में लिये जावे। संबंधित निर्माता फर्म द्वारा इन्टरलॉकिंग सी.सी. ब्लॉक की सप्लाय करते समय प्रत्येक लॉट के साथ Testing Certificate भी संलग्न करना होगा जिसमें यह अंकित होगा कि ब्लॉक्स का निर्माण आई.एस. मापदण्डों के अनुरूप है।


- 8- यह सुनिश्चित किया जावे कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत इस कार्य के सम्पादन के कारण ग्राम पंचायत में किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान सामग्री पर लागत (सभी कार्यकारी एजेन्सी की लागत को सम्मिलित करते हुए) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
- 9- आंतरिक सड़कों का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व सभी अतिक्रमणों को दूर किया जाये ताकि नालियों का निर्माण उचित स्थान पर किया जा सके एवं अतिक्रमण रहित मार्ग का निर्माण हो सके।
- 10- इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक /टाईल्स से निर्मित सड़क एवं नाली निर्माण के तकमीने मौके पर कार्य की वास्तविक स्थिति एवं तकनीकी रूप से आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए तैयार किये जायेंगे एवं उसी के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जाना होगा।
- 11-कार्य आरम्भ करने से पूर्व कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा स्वयं मौके पर जाकर सड़क एवं नाली का ले-आउट दिया जायेगा एवं संबंधित ग्राम सेवक/रोजगार सहायक, कारीगर, मेट, श्रमिकों एवं स्थानीय व्यक्तियों को कार्य सम्पादन की सम्पूर्ण प्रक्रिया समझायी जायेगी।
- 12- तकनीकी रूप से कार्य सम्पादन की प्रक्रिया :-
  - (i) सर्वप्रथम मौके की आवश्यकतानुसार मिट्टी का आधार तैयार कर लिया जावे। मिट्टी का कार्य पूरा होने के पश्चात् 150 मिमी मोटाई (कुटी हुई) में ग्रेवल बिछाई जानी चाहिए। ग्रेवल की बिछाई एवं कुटाई केम्बर व ग्रेड में होनी चाहिए जिसमें undulation नहीं हो। ग्रेवल कार्य तकनीकी मार्गदर्शिका - 2010 के परिशिष्ट 1 के बिन्दु संख्या 17 पर सुझाये अनुसार किया जावे।
  - (ii) ग्रेवल कार्य पूरा होने के पश्चात् डब्ल्यू.बी.एम. कार्य जी-3 ग्रेड (53-22.4) एम.एम. क्रेशर ब्रोकन उपयोग में लिया जाकर MORTH Specification के अनुसार दो लेयर में किया जाना चाहिए जिसकी मोटाई 150 मिमी होनी चाहिए। डब्ल्यू.बी.एम. की सतह निर्धारित केम्बर व ग्रेड में होनी चाहिए। डब्ल्यू बी एम के स्थान पर सीमेन्ट कंक्रीट मिक्सर मशीन से 1 : 5 : 10 का 100 मिमी मोटाई में सीमेन्ट कंक्रीट (आवश्यक केम्बर में) कराया जा सकता है। इसके लिए वाईब्रेटर से कॉम्पैक्शन तथा न्यूनतम 14 दिन तक तराई की जाना आवश्यक है।
  - (iii) इन्टरलॉकिंग सी.सी. ब्लॉक IRC: SP : 63 - 2004 (Guidelines for the use of interlocking concrete block pavement) में वर्णित मानकों के अनुसार होना आवश्यक है। जहां पर मध्यम श्रेणी का यातायात यथा हल्के वाहन, ऊंट गाड़ी, ट्रैक्टर आदि हो वहां केटेगरी-ए की 80 मिमी मोटाई की एम-30 ग्रेड (BS 6717 : 2001 अनुसार) के ब्लॉक उपयोग में लाए जावें। जहां पर भारी यातायात यथा बस, ट्रक, ट्रॉले, वाणिज्यिक वाहन हो वहां पर केटेगरी-बी की 100 मिमी मोटाई की एम-30 ग्रेड (BS 6717 : 2001 अनुसार) के ब्लॉक उपयोग में लाए जावें।
  - (iv) प्रिकास्ट सीमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिंग ब्लॉक स्वचालित प्लाण्ट पर हाईड्रोलिक प्रेशर एवं नियंत्रित वाईब्रेशन की मशीनों से निर्मित होने चाहिए। हैण्ड कास्टेड सी.सी. इन्टरलॉकिंग ब्लॉक का उपयोग वर्जित है।

- (v) डब्ल्यू.बी.एम. अथवा सीमेंट कंक्रीट कार्य के पश्चात् 40 से 50 एम.एम. की मोटाई में IRC: SP : 63 - 2004 के अनुसार बजरी की लेयर सही प्रोफाईल एवं लेवल में तैयार करने के पश्चात् ही इन्टरलॉकिंग सी.सी. ब्लॉक लगाये जावे।
- (vi) दो टाईलों के बीच के जोड़ 2 से 3 एम.एम. से अधिक नहीं होने चाहिए। इन जोड़ों को बारीक बजरी से IRC: SP : 63 - 2004 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भर कर Brooming करनी चाहिए।
- (vii) बिछाये गये इन्टरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक के किनारों पर 1 : 2 : 4 मिश्रण में 150 मिमी चौड़ाई में सीमेंट कंक्रीट तैयार कर किनारों के दोनों तरफ ब्लॉक की ऊँचाई के बराबर बिछाई जावे ताकि बिछाये गये ब्लॉक सुरक्षित रहे। सीमेंट कंक्रीट की निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तराई की जावे।
- (viii) इन्टर लॉकिंग सी.सी. ब्लॉक से उपरोक्तानुसार तैयार कीजाने वाली गांवों की आंतरिक सड़क का एक टिपिकल मानचित्र परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों को तकनीकी मार्गदर्शिका-2010 के परिशिष्ट-1 के बिन्दु संख्या 32 के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(सी.एस.राजन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जिला परिषद् समस्त को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की प्रति श्रीमान् जिला प्रमुख, सभी प्रधानगण, सभी विकास अधिकारी, एवं सभी सरपंचगण को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद्, समस्त।

*Ar*  
24.1.12

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

# TYPICAL CROSS SECTION OF INTERLOCKING C.C. BLOCK PAVEMENT FOR INTERNAL ROADS



**No.J-11060/1/2011-MGNREGA-I  
Government of India  
Ministry of Rural Development  
Department of Rural Development  
(MGNREGA Division)**

Krishi Bhavan, New Delhi  
Dated 6<sup>th</sup> January, 2012

**Subject : Use of cement concrete interlocking block for construction of village internal roads under MGNREGA.**

Vide circular referred above, cement concrete interlocking block roads are not permitted for construction of village internal roads to be taken up under MGNREGA. Several requests have been received for permitting use of cement concrete interlocking blocks for internal roads.


The requests received from State Governments have been examined and it has been decided to review the decision.

The following amendment is, therefore, being issued to the circular referred above.

Para (viii) (a), (b) & (f) of the circular referred above may be read as under:

- (viii) (a) As per local availability of material and requirement of the area for the construction of village internal streets (not roads connecting habitations.) stone kharanja or brick kharanja or cement concrete or cement concrete interlocking blocks may be used.
- (b) The State Government will lay down procedure to ensure that the quality of material being procured & the process used for laying precast cement concrete blocks in constructing cement concrete interlocking block roads follow appropriate standards. (IRC reference IRC SP: 63-2004 "Guidelines for the use of Interlocking Concrete Block Pavement" may be referred to)
- (f) Labour material ratio 60:40 should be maintained at the Gram Panchayat level.

Remaining paras of the circular dated 18<sup>th</sup> October, 2011 will remain the same.

  
(P.N. Shukla)

Under Secretary to the Government of India)

To

1. Principal Secretary/ Secretary of all State Rural Development Department.